न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2017 निगरानी R 1019-PBR/17

(59)

1-इकबाल अली पुत्र श्री अहसान अली, द्वारा मुख्त्यारआम, इरफान अली पुत्र स्व. श्री अहसान अली

2-इरफान अली पुत्र स्व. श्री अहसान अली, निवासीगण- ग्राम अमरौल, तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

......प्रतिनिगरानीकर्ता

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50(1) एम.पी.एल.आर.सी. विरुद्ध आदेश दिनांक 05.07.2016 जो न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के द्वारा प्रकरण क्रमांक- 83/2011-12 निगरानी व उनमान इकबाल अली बनाम म.प्र. शासन में पारित किया, जिसके द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के द्वारा प्रकरण क्रमांक- 7/10-11/अपील में पारित आदेश दिनांक 06.06.2011 की पुष्टि की गयी।

रा आज दि 30.3.17 को

30.3.17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1019–पीबीआर/17 [इकबाल/अमन] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–4–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अपर आयुक्त के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–7–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी दिनांक 30–3–2017 को लगभग 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें विलम्ब का कारण अभिभाषक द्वारा अपर अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी नहीं दिया जाना बतलाया गया है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	